ई–मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांकः–8प/वि0–5–136/2017–7829/पं0रा0

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

मृणायक दास
विशेष कार्य पदाधिकारी

सेवा में,

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद्, दरभंगा।

पटना, दिनांक 11/09/2017

विषयः– दरभंगा जिलान्तर्गत बहेड़ी प्रखंड के पूर्व प्रमुख श्रीमती मुन्नी देवी के कारा अवधि का मानदेय भुगतान हेतु मार्गदर्शन देने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–103/जि0प0 दिनांक–19.07.2017।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से आपके द्वारा दरभंगा जिलान्तर्गत बहेड़ी प्रखंड के पूर्व प्रमुख श्रीमती मुन्नी देवी के पदासीन अवधि के दौरान न्यायिक हिरासत में व्यतीत किये गये अवधि के मानदेय भुगतान हेतु विभाग से मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी है।

इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि त्रि–स्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधियों को पंचायती राज संस्थाओं के कार्यो में उनकी सहभागिता को प्रोत्साहित करने के उद्येश्य से नियत मानदेय के भुगतान का प्रावधान किया गया है तथा न्यायिक हिरासत में बिताई गई अवधि में संबंधित जनप्रतिनिधि द्वारा पंचायत समिति के कार्यों का निष्पादन किया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त अवधि के मानदेय का भुगतान किया जाना नियमानुकुल प्रतीत नहीं होता है।

कृपया सूचनार्थ।

विश्वासभाजन

8/9/2017

(मृणायक दास)
विशेष कार्य पदाधिकारी